बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या– 1/मु0स्था0 रा0 भू0(संविदा)27–02/2012 (1)/रा0, पटना–15, दिनांक–

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 के आलोक में बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए सृजित कार्यालय परिचारियों के 6 (छः) रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए माननीया अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यालय परिचारी के पद पर बिहार भूमि न्यायाधिकरण में योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर रूपये 8000/– प्रतिमाह नियत मानदेय/ पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0	नाम	जन्म तिथि	पिता/ पति का नाम	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश कुमार	03.01.80	स्व0 ओम प्रकाश कुलियार	सामान्य
2	श्री दिलीप कुमार	12.01.87	श्री सुकदेव	सामान्य
3	श्री अजय कुमार सिंह	12.08.77	श्री जीवनंदन सिंह	सामान्य
4	श्री अनुराग कुमार	02.01.87	श्री नरेश कुमार मंडल	पिछड़ा वर्ग
5	श्री संतोष कुमार	02.01.80	श्री धनेश्वर मंडल	अ0 पि0 व0
6	श्रीमती उषा कुमारी	10.05.76	श्री नंद किशोर रजक	अनु0 जाति

2. उपर्युक्त नियोजन अस्थायी है। नियोजित कर्मियों की कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और संतोषजनक कार्य नहीं रहने पर उन्हें हटाया जा सकता है। सेवा संतोषजनक होने पर, अवधि-विस्तार किये जाने पर विचार किया जा सकता है। अवधि-विस्तार नहीं किये जाने की स्थिति में इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

4. उपर्युक्त कर्मियों का नियोजन उनके द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने के शर्त्त पर किया जा रहा है। अतएव उन्हें असैनिक–शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा शारीरिक सक्षमता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। तद्पोरान्त बिहार भूमि न्यायाधिकरण पटना में एकरारनामा के साथ नियोजित किए जाएँगे। नियोजित कर्मियों को मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा किया जायेगा।

ह0/–

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

बंदि
क

ज्ञापांक–1/मु0स्था0 रा0 भू0(संविदा)27–02/2012 (1)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–1/मु0स्था0 रा0 भू0(संविदा)27–02/2012 378 (1)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/4/13

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना / माननीय सदस्य (प्रशासनिक), बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना / अवर सचिव, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना को उनके पत्रांक–198 दिनांक–18.04.2013 के प्रसंग में/सभी सम्बन्धित अभ्यार्थियों / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अवर सचिव, बिहार भूमि न्यायाधिकरण से अनुरोध है कि उक्त अभ्यार्थियों से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित एकरारनामा प्राप्त करने के पश्चात योगदान स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही योगदान स्वीकृति के पूर्व, सभी सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों की जाँच अपने स्तर से कर ली जाय। योगदान स्वीकृति आदेश के साथ एकरारनामा की एक प्रति एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. नियोजित अभ्यार्थियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ बिहार भूमि न्यायाधिकरण में योगदान समर्पित करें। योगदान के समय सभी सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करें ताकि न्यायाधिकरण द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच की जा सके।

26/4/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव